

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प

आदेशः

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार / नायब तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम में खाता संख्या में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	कसासिया	288	इकमालिह पिला कसासिया 1/1/1	इकमालिह पिला कसासिया 1/1/1 1/1/1

(fhar)
सहायक कलक्टर
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहा. कलक्टर

दिनांक :- 16/10/2025

क्रमांक :- 125/365

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट निजवाये।
2. प्रार्थी श्री इकमालिह पिला को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(fhar)
पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा. कलक्टर,
जिला राजसमन्ध